



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 फाल्गुन 1940 (श0)

(सं० पटना 244) पटना, बुधवार, 20 फरवरी 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

20 फरवरी 2019

आदेश सं० 2/2019—राज्य कर

एस० ओ० 32, दिनांक 20 फरवरी 2019—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 52 की उपधारा (4) में यह उपबंधित है कि प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रहण करता है, उसके द्वारा की जाने वाली माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्तियों, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा वापस की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियां भी हैं, के ब्यौरे और मास के दौरान उपधारा (1) के अधीन संगृहीत रकम के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे मास के अंत के पश्चात् दस दिन के भीतर, इलैक्ट्रानिक रूप से एक विवरण प्रस्तुत करेगा ;

और कतिपय प्रचालक, जो सामान्य पोर्टल पर उनके द्वारा तकनीकी कठिनाईयों का सामना करने के कारण रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने में असमर्थ रहे थे किंतु उन्होंने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 2018 मास के लिए रकम का संग्रहण किया था, जिसके परिणामस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन वे विवरण प्रस्तुत नहीं कर सके और जिसके कारण उक्त उपधारा के उपबंधों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाईयां उदभूत हुई हैं;

अतः, अब, बिहार राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर कठिनाईयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, यथा :-

1. संक्षिप्त नाम।— इस आदेश का संक्षिप्त नाम बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2019 है।
2. बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 52 की उप-धारा (4) के स्पष्टीकरण में, “31 जनवरी, 2019” अंक और शब्द “07 फरवरी, 2019” अंक और शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
3. यह आदेश दिनांक 1 फरवरी, 2019 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-6) 571)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

20 फरवरी 2019

एस० ओ०. 32, दिनांक 20 फरवरी 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-6) 571)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 20th February 2019

Order No. 02/2019- State Tax

S.O. 32, Dated 20th February 2019— WHEREAS, sub-section (4) of section 52 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that every operator who collects the amount specified in sub-section (1) shall furnish a statement, electronically, containing the details of outward supplies of goods or services or both effected through it, including the supplies of goods or services or both returned through it, and the amount collected under sub-section (1) during a month, in such form and manner as may be prescribed, within ten days after the end of such month;

AND WHEREAS, certain operators, were unable to obtain registration because of technical issues being faced by them on the common portal but they collected the amount for the months of October, November and December 2018, as a result whereof, the statement under subsection (4) of section 52 of the said Act could not be furnished and because of that certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the said sub-section;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, the Governor of Bihar, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely: —

1. *Short title.*—This Order may be called the Bihar Goods and Services Tax (Second Removal of Difficulties) Order, 2019.
2. In section 52 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, in sub-section (4), in the Explanation, for the figures and words “31st January, 2019”, the figures and words “07th February, 2019” shall be substituted.

This order shall come in to force with effect from 1st February, 2019.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-6) 571)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary .

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 244-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>